उत्तर प्रदेश सरकार

सुप्रबन्ध राष्ट्र समृद्धि
आ वि प्रा
आगरा विकास प्राधिकरण

RERA
Registration No.
UPRERAPRJ2826
85/12/2025

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नये शहर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत

आगरा विकास प्राधिकरण

की

ग्रेटर आगरा परियोजना

नर्मदापुरम टाउनशिप

पंजीकरण
प्रारंभ तिथि
29/06/2026

पंजीकरण
समाप्ति तिथि
29/07/2026

(प्रतीकात्मक)

सशक्त आगरा, समृद्ध आगरा, विकसित आगरा

संदेश

अत्यन्त गौरव का क्षण है कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 36 वर्षों के लम्बे अंतराल के पश्चात् विकसित की गई 'अटलपुरम टाउनशिप' को आप सभी का अभूतपूर्व विश्वास और सहयोग प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक शुरूआत के मात्र 08 माह के भीतर ही सुनियोजित नगरीय विकास की एक और नवीन संभावना 'गेटर आगरा परियोजना' के रूप में धरातल पर साकार हो रही है। यह परियोजना 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत हमारे शहर को एक नई दिशा देने के लिए अग्रसर है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम रायपुर एवं रहनकलां में भूमि अर्जित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के लोक–कल्याणकारी एवं विकासपरक दृष्टिकोण के फलस्वरूप, मंत्रिमंडल की स्वीकृत के उपरान्त, वर्तमान में प्रभावी सर्किल दर के चार गुने की दर (अनुग्रह राशि सहित) से देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण की ग्रेटर आगरा परियोजना ग्राम रायपुर एवं रहनकलां का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा दिनांक 07.04.2026 को भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया, इसके लिए मैं उनका साधुवाद एवं कोटि–कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

ग्रेटर आगरा परियोजना एक अत्यंत आधुनिक नगरीय विकास परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में नदियों के विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, इस परियोजना के अन्तर्गत देश की दस प्रमुख एवं ऐतिहासिक नदियों के नाम पर दस आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह महापरियोजना आगरा महानगर में पर्यटन को नई ऊर्जा देने के साथ–साथ हमारे इस ऐतिहासिक शहर को विकास की एक नई वैश्विक पहचान प्रदान करेगी।

नगेन्द्र प्रताप
आई.ए.एस.
आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर आगरा परियोजना ग्राम रायपुर एवं रहनकलां की 449.65 हेक्टेयर भूमि पर देश की 10 पवित्र और ऐतिहासिक नदियों के नाम पर 10 महत्वाकांक्षी टाउनशिप विकसि की जा रही है, जिनके नाम सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेत्वापुरम, महानदीपुमर, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णपुरम एवं कावेरीपुरम हैं।

आधुनिक नगरीय नियोजन के तहत इस परियोजना में 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट और विस्तृत ग्रीन कॉरिडोर जैसी मुख्य सुविधाएँ शामिल हैं। परिसर में समाज के सभी वर्गो के लिए आवासीय भूखण्डों के साथ–साथ स्वास्थ, शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं का एक ही जगह सुनियोजित प्रावधान किया गया है, जिससे सभी को एक आदर्श, सुरक्षित और सुगम जीवन शैली मिलेगी।

मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिव–आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, आयुक्त–आगरा मण्डल, आगरा तथा जिलाधिकारी, आगरा के प्रति उनके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणा एवं सतत मार्गदर्शन के लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनके फलस्वरूप आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा इस वृहद टाउनशिप परियोजना का शुभारम्भ सम्भव हो सका।

एम. अरुन्मोली
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण

ग्रेटर आगरा परियोजना की महत्वपूर्ण स्थानों से दूरी

क्रम.	स्थान	दूरी (कि.मी.)
1	ताज महल	13.9 कि.मी.
2	आगरा किला	20.6 कि.मी.
3	आई.एस.बी.टी. आगरा	20.9 कि.मी.
4	आगरा कैंट रेलवे स्टेशन	21.9 कि.मी.
5	ईदगाह बस स्टैंड	21.9 कि.मी.
6	ईदगाह रेलवे स्टेशन	22.5 कि.मी.
7	आगरा हवाई अड्डा	25.0 कि.मी.

नर्मदापुरम टाउनशिप का ले-आउट

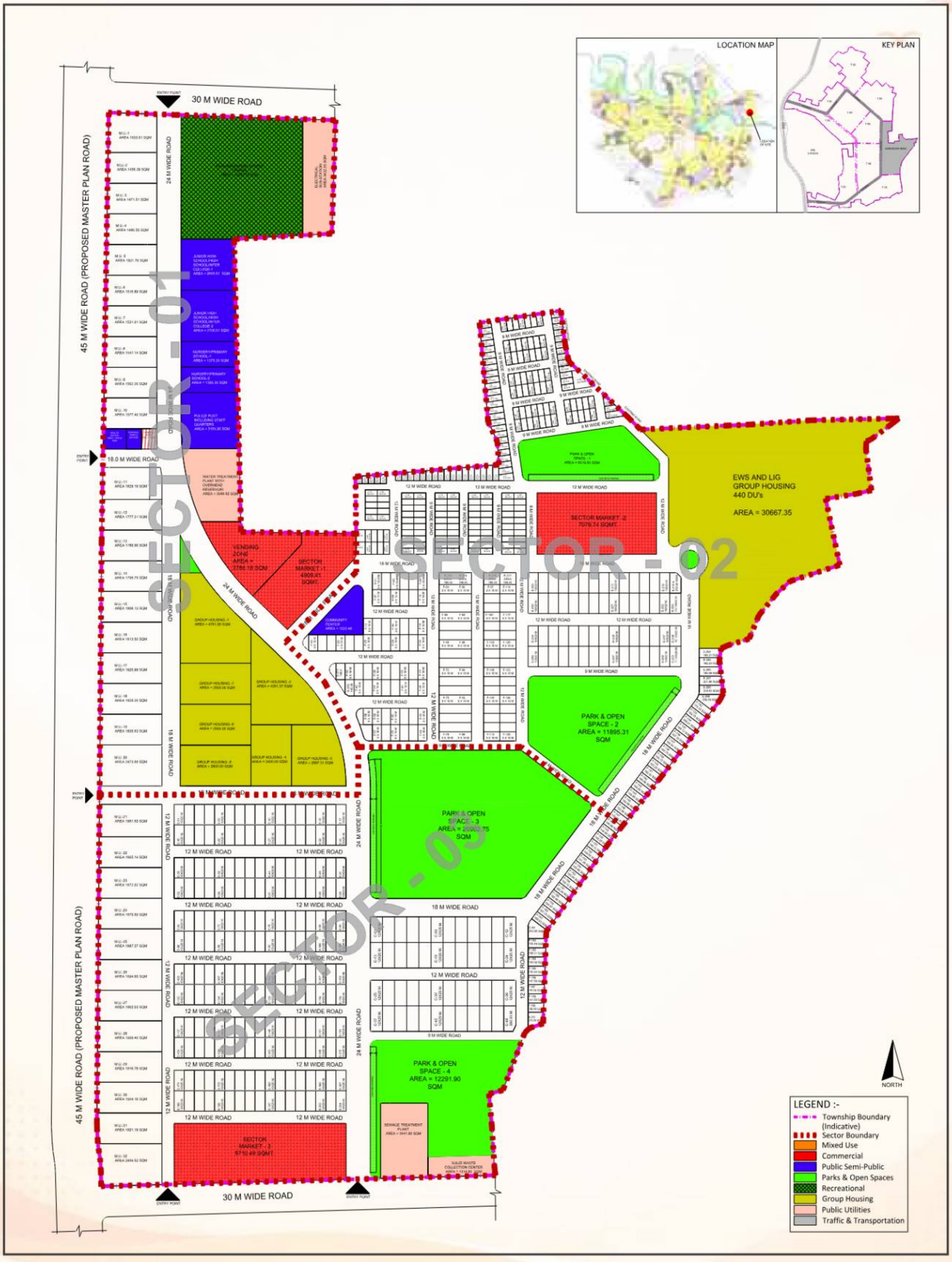

ग्रेटर आगरा परियोजना की प्रस्तावित सुविधाएँ

45 मीटर मास्टर प्लान रोड के साथ बेहतर कनेक्टिविटी

बेहतर सड़क कनेक्टिविटी

ग्रीन कॉरिडोर

मिक्स्ड–यूज प्लॉट

मनोरंजन क्षेत्र

बड़े पार्क और खुली जगहें

वृहद आकार का सेक्टर मार्केट

वृहद आकार का वेंडिंग जोन

एच.आई.जी, एम.आई.जी. और एल.आई.जी. आवासीय प्लॉट

ग्रुप हाउसिंग प्लॉट

स्वास्थ्य केंद्र

नर्सरी / प्राइमरी स्कूल

जूनियर हाई स्कूल / इंटर कॉलेज

पुलिस चौकी स्टाफ क्वार्टर सहित

सामुदायिक केंद्र

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस. टी. पी.)

जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यू.टी.पी)

इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन (ई.एस.एस)

सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सेंटर

भूमिगत यूटिलिटी डक्ट

फुटपाथ एवं साइकिल ट्रैक

सीसीटीवी

वर्षा जल संचयन प्रणाली

सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट्स

स्थानीय खेल केंद्र

नर्मदापुरम टाउनशिप के भूखण्डों का विवरण

क्रम. सं.	भूखण्ड संख्या	सेक्टर	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)
1	NRP- T7/H 01	2	L.I.G.	96
2	NRP- T7/H 02	2	L.I.G.	92
3	NRP- T7/H 03	2	L.I.G.	94
4	NRP- T7/H 04	2	L.I.G.	96
5	NRP- T7/H 05	2	L.I.G.	98
6	NRP- T7/H 06	2	L.I.G.	100
7	NRP- T7/H 07	2	L.I.G.	96
8	NRP- T7/H 08	2	L.I.G.	91
9	NRP- T7/H 09	2	L.I.G.	97
10	NRP- T7/J 01	2	L.I.G.	72
11	NRP- T7/J 02	2	L.I.G.	72
12	NRP- T7/J 03	2	L.I.G.	72
13	NRP- T7/J 04	2	L.I.G.	72
14	NRP- T7/J 05	2	L.I.G.	72
15	NRP- T7/J 06	2	L.I.G.	72
16	NRP- T7/J 07	2	L.I.G.	72
17	NRP- T7/J 08	2	L.I.G.	72
18	NRP- T7/J 09	2	L.I.G.	72
19	NRP- T7/J 10	2	L.I.G.	72
20	NRP- T7/J 11	2	L.I.G.	72
21	NRP- T7/J 12	2	L.I.G.	72
22	NRP- T7/J 13	2	L.I.G.	72
23	NRP- T7/J 14	2	L.I.G.	72
24	NRP- T7/J 15	2	L.I.G.	72
25	NRP- T7/J 16	2	L.I.G.	72
26	NRP- T7/J 17	2	L.I.G.	72
27	NRP- T7/J 18	2	L.I.G.	72
28	NRP- T7/J 19	2	L.I.G.	72
29	NRP- T7/J 20	2	L.I.G.	72
30	NRP- T7/J 21	2	L.I.G.	72
31	NRP- T7/J 22	2	L.I.G.	72
32	NRP- T7/J 23	2	L.I.G.	72
33	NRP- T7/J 24	2	L.I.G.	72
34	NRP- T7/J 25	2	L.I.G.	72
35	NRP- T7/J 26	2	L.I.G.	72
36	NRP- T7/J 27	2	L.I.G.	72
37	NRP- T7/J 28	2	L.I.G.	72
38	NRP- T7/J 29	2	L.I.G.	72
39	NRP- T7/J 30	2	L.I.G.	72
40	NRP- T7/J 31	2	L.I.G.	72
41	NRP- T7/J 32	2	L.I.G.	72
42	NRP- T7/J 33	2	L.I.G.	72
43	NRP- T7/J 34	2	L.I.G.	72
44	NRP- T7/J 35	2	L.I.G.	72
45	NRP- T7/J 36	2	L.I.G.	72
46	NRP- T7/J 37	2	L.I.G.	72
47	NRP- T7/J 38	2	L.I.G.	72
48	NRP- T7/J 39	2	L.I.G.	72
49	NRP- T7/J 40	2	L.I.G.	72
50	NRP- T7/J 41	2	L.I.G.	72
51	NRP- T7/J 42	2	L.I.G.	72
52	NRP- T7/J 43	2	L.I.G.	72
53	NRP- T7/J 44	2	L.I.G.	72
54	NRP- T7/J 45	2	L.I.G.	72
55	NRP- T7/J 46	2	L.I.G.	72
56	NRP- T7/J 47	2	L.I.G.	72
57	NRP- T7/J 48	2	L.I.G.	72
58	NRP- T7/J 49	2	L.I.G.	72
59	NRP- T7/J 50	2	L.I.G.	72
60	NRP- T7/J 51	2	L.I.G.	72
61	NRP- T7/J 52	2	L.I.G.	72
62	NRP- T7/J 53	2	L.I.G.	72
63	NRP- T7/J 54	2	L.I.G.	72
64	NRP- T7/J 55	2	L.I.G.	72
65	NRP- T7/J 56	2	L.I.G.	72
66	NRP- T7/J 57	2	L.I.G.	72
67	NRP- T7/J 58	2	L.I.G.	72
68	NRP- T7/J 59	2	L.I.G.	72
69	NRP- T7/J 60	2	L.I.G.	69
70	NRP- T7/J 61	2	L.I.G.	78
71	NRP- T7/J 63	2	L.I.G.	72
72	NRP- T7/J 64	2	L.I.G.	47

73	NRP- T7/J 65	2	L.I.G.	46
74	NRP- T7/J 66	2	L.I.G.	49
75	NRP- T7/J 67	2	L.I.G.	52
76	NRP- T7/J 68	2	L.I.G.	55
77	NRP- T7/J 69	2	L.I.G.	44
78	NRP- T7/J 70	2	L.I.G.	47
79	NRP- T7/J 71	2	L.I.G.	50
80	NRP- T7/J 72	2	L.I.G.	53
81	NRP- T7/J 73	2	L.I.G.	56
82	NRP- T7/J 74	2	L.I.G.	59
83	NRP- T7/J 75	2	L.I.G.	62
84	NRP- T7/J 76	2	L.I.G.	65
85	NRP- T7/J 77	2	L.I.G.	68
86	NRP- T7/J 78	2	L.I.G.	71
87	NRP- T7/J 79	2	L.I.G.	74
88	NRP- T7/J 80	2	L.I.G.	77
89	NRP- T7/J 81	2	L.I.G.	80
90	NRP- T7/J 82	2	L.I.G.	83
91	NRP- T7/J 83	2	L.I.G.	86
92	NRP- T7/J 84	2	L.I.G.	89
93	NRP- T7/J 85	2	L.I.G.	82
94	NRP- T7/J 86	2	L.I.G.	77
95	NRP- T7/J 87	2	L.I.G.	73
96	NRP- T7/J 88	2	L.I.G.	70
97	NRP- T7/J 89	2	L.I.G.	67
98	NRP- T7/J 90	2	L.I.G.	67
99	NRP- T7/J 91	2	L.I.G.	76
100	NRP- T7/J 92	2	L.I.G.	86
101	NRP- T7/J 93	2	L.I.G.	89
102	NRP- T7/J 94	2	L.I.G.	87
103	NRP- T7/J 95	2	L.I.G.	85
104	NRP- T7/J 96	2	L.I.G.	83
105	NRP- T7/J 97	2	L.I.G.	81
106	NRP- T7/J 98	2	L.I.G.	79
107	NRP- T7/J 99	2	L.I.G.	77
108	NRP- T7/J 100	2	L.I.G.	75
109	NRP- T7/J 101	2	L.I.G.	73
110	NRP- T7/J 102	2	L.I.G.	70
111	NRP- T7/J 103	2	L.I.G.	68
112	NRP- T7/J 104	2	L.I.G.	60
113	NRP- T7/J 105	2	L.I.G.	59
114	NRP- T7/J 106	2	L.I.G.	59
115	NRP- T7/J 107	2	L.I.G.	58
116	NRP- T7/J 108	2	L.I.G.	57
117	NRP- T7/J 109	2	L.I.G.	57
118	NRP- T7/J 110	2	L.I.G.	59
119	NRP- T7/J 111	2	L.I.G.	61
120	NRP- T7/J 112	2	L.I.G.	69
121	NRP- T7/J 113	2	L.I.G.	72
122	NRP- T7/J 114	2	L.I.G.	72
123	NRP- T7/J 115	2	L.I.G.	72
124	NRP- T7/J 116	2	L.I.G.	72
125	NRP- T7/J 117	2	L.I.G.	72
126	NRP- T7/J 118	2	L.I.G.	72
127	NRP- T7/J 119	2	L.I.G.	72
128	NRP- T7/J 120	2	L.I.G.	72
129	NRP- T7/J 121	2	L.I.G.	72
130	NRP- T7/J 122	2	L.I.G.	72
131	NRP- T7/J 123	2	L.I.G.	72
132	NRP- T7/J 124	2	L.I.G.	72
133	NRP- T7/J 125	2	L.I.G.	72
134	NRP- T7/J 126	2	L.I.G.	72
135	NRP- T7/J 127	2	L.I.G.	72
136	NRP- T7/J 128	2	L.I.G.	72
137	NRP- T7/J 129	2	L.I.G.	72
138	NRP- T7/J 130	2	L.I.G.	72
139	NRP- T7/J 131	2	L.I.G.	72
140	NRP- T7/J 132	2	L.I.G.	72
141	NRP- T7/J 133	2	L.I.G.	72
142	NRP- T7/J 134	2	L.I.G.	72
143	NRP- T7/J 135	2	L.I.G.	72
144	NRP- T7/J 136	2	L.I.G.	72
145	NRP- T7/J 137	2	L.I.G.	72
146	NRP- T7/J 138	2	L.I.G.	72
147	NRP- T7/J 139	2	L.I.G.	72
148	NRP- T7/J 140	2	L.I.G.	72
149	NRP- T7/J 141	2	L.I.G.	72
150	NRP- T7/J 142	2	L.I.G.	72
151	NRP- T7/J 143	2	L.I.G.	72
152	NRP- T7/J 144	2	L.I.G.	72

153	NRP- T7/J 145	2	L.I.G.	72
154	NRP- T7/J 146	2	L.I.G.	72
155	NRP- T7/J 147	2	L.I.G.	72
156	NRP- T7/J 148	2	L.I.G.	72
157	NRP- T7/J 149	2	L.I.G.	72
158	NRP- T7/J 150	2	L.I.G.	72
159	NRP- T7/J 151	2	L.I.G.	72
160	NRP- T7/J 152	2	L.I.G.	72
161	NRP- T7/J 153	2	L.I.G.	72
162	NRP- T7/J 154	2	L.I.G.	72
163	NRP- T7/J 155	2	L.I.G.	72
164	NRP- T7/J 156	2	L.I.G.	72
165	NRP- T7/J 157	2	L.I.G.	72
166	NRP- T7/J 158	2	L.I.G.	72
167	NRP- T7/J 159	2	L.I.G.	72
168	NRP- T7/J 160	2	L.I.G.	72
169	NRP- T7/J 161	2	L.I.G.	72
170	NRP- T7/J 162	2	L.I.G.	72
171	NRP- T7/J 163	2	L.I.G.	72
172	NRP- T7/J 164	2	L.I.G.	72
173	NRP- T7/J 165	2	L.I.G.	72
174	NRP- T7/J 166	2	L.I.G.	72
175	NRP- T7/J 167	2	L.I.G.	72
176	NRP- T7/J 168	2	L.I.G.	72
177	NRP- T7/J 169	2	L.I.G.	72
178	NRP- T7/J 170	2	L.I.G.	72
179	NRP- T7/J 171	2	L.I.G.	72
180	NRP- T7/J 172	2	L.I.G.	72
181	NRP- T7/J 173	2	L.I.G.	72
182	NRP- T7/J 174	2	L.I.G.	72
183	NRP- T7/J 175	2	L.I.G.	72
184	NRP- T7/J 176	2	L.I.G.	72
185	NRP- T7/J 177	2	L.I.G.	72
186	NRP- T7/J 178	2	L.I.G.	72

187	NRP- T7/J 179	2	L.I.G.	72
188	NRP- T7/J 180	2	L.I.G.	72
189	NRP- T7/J 181	2	L.I.G.	72
190	NRP- T7/J 182	2	L.I.G.	72
191	NRP- T7/J 183	2	L.I.G.	72
192	NRP- T7/J 184	2	L.I.G.	72
193	NRP- T7/J 185	2	L.I.G.	72
194	NRP- T7/J 186	2	L.I.G.	72
195	NRP- T7/J 187	2	L.I.G.	72
196	NRP- T7/J 188	2	L.I.G.	72
197	NRP- T7/J 189	2	L.I.G.	72
198	NRP- T7/J 190	2	L.I.G.	72
199	NRP- T7/J 191	2	L.I.G.	72
200	NRP- T7/J 192	2	L.I.G.	72
201	NRP- T7/J 193	2	L.I.G.	72
202	NRP- T7/J 194	2	L.I.G.	72
203	NRP- T7/J 195	2	L.I.G.	72
204	NRP- T7/J 196	2	L.I.G.	72
205	NRP- T7/J 197	2	L.I.G.	72
206	NRP- T7/J 198	2	L.I.G.	72
207	NRP- T7/J 199	2	L.I.G.	72
208	NRP- T7/J 200	2	L.I.G.	72
209	NRP- T7/J 201	2	L.I.G.	72
210	NRP- T7/J 202	2	L.I.G.	72
211	NRP- T7/J 203	2	L.I.G.	72
212	NRP- T7/J 204	2	L.I.G.	72
213	NRP- T7/J 205	2	L.I.G.	72
214	NRP- T7/J 206	2	L.I.G.	72
215	NRP- T7/J 207	2	L.I.G.	72
216	NRP- T7/J 208	2	L.I.G.	72
217	NRP- T7/J 209	2	L.I.G.	72
218	NRP- T7/J 210	2	L.I.G.	72
219	NRP- T7/J 211	2	L.I.G.	72
220	NRP- T7/J 212	2	L.I.G.	72

क्रम. सं.	भूखण्ड संख्या	सेक्टर	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)
1	NRP- T7/E 271	2	M.I.G. - I	144
2	NRP- T7/E 272	2	M.I.G. - I	140
3	NRP- T7/F 01	2	M.I.G. - I	150
4	NRP- T7/F 02	2	M.I.G. - I	150
5	NRP- T7/F 03	2	M.I.G. - I	150
6	NRP- T7/F 04	2	M.I.G. - I	150
7	NRP- T7/F 05	2	M.I.G. - I	150
8	NRP- T7/F 06	2	M.I.G. - I	150
9	NRP- T7/F 07	2	M.I.G. - I	144
10	NRP- T7/F 08	2	M.I.G. - I	144
11	NRP- T7/F 09	2	M.I.G. - I	144
12	NRP- T7/F 10	2	M.I.G. - I	144
13	NRP- T7/F 11	2	M.I.G. - I	144
14	NRP- T7/F 12	2	M.I.G. - I	144
15	NRP- T7/F 13	2	M.I.G. - I	144
16	NRP- T7/F 14	2	M.I.G. - I	144
17	NRP- T7/F 15	2	M.I.G. - I	144
18	NRP- T7/F 16	2	M.I.G. - I	144
19	NRP- T7/F 17	2	M.I.G. - I	144
20	NRP- T7/F 18	2	M.I.G. - I	144
21	NRP- T7/F 19	2	M.I.G. - I	144
22	NRP- T7/F 20	2	M.I.G. - I	144
23	NRP- T7/F 21	2	M.I.G. - I	144
24	NRP- T7/F 22	2	M.I.G. - I	144
25	NRP- T7/F 23	2	M.I.G. - I	144
26	NRP- T7/F 24	2	M.I.G. - I	144
27	NRP- T7/F 25	2	M.I.G. - I	144
28	NRP- T7/F 26	2	M.I.G. - I	144
29	NRP- T7/F 27	2	M.I.G. - I	144
30	NRP- T7/F 28	2	M.I.G. - I	144
31	NRP- T7/F 29	2	M.I.G. - I	144
32	NRP- T7/F 30	2	M.I.G. - I	144
33	NRP- T7/F 31	2	M.I.G. - I	144
34	NRP- T7/F 32	2	M.I.G. - I	144
35	NRP- T7/F 33	2	M.I.G. - I	144
36	NRP- T7/F 34	2	M.I.G. - I	144
37	NRP- T7/F 35	2	M.I.G. - I	144
38	NRP- T7/F 36	2	M.I.G. - I	144
39	NRP- T7/F 37	2	M.I.G. - I	144
40	NRP- T7/F 38	2	M.I.G. - I	144
41	NRP- T7/F 39	2	M.I.G. - I	144
42	NRP- T7/F 40	2	M.I.G. - I	144
43	NRP- T7/F 41	2	M.I.G. - I	144
44	NRP- T7/F 42	2	M.I.G. - I	144
45	NRP- T7/F 43	2	M.I.G. - I	144
46	NRP- T7/F 44	2	M.I.G. - I	144
47	NRP- T7/F 45	2	M.I.G. - I	144
48	NRP- T7/F 46	2	M.I.G. - I	144
49	NRP- T7/F 47	2	M.I.G. - I	144
50	NRP- T7/F 48	2	M.I.G. - I	144
51	NRP- T7/F 49	2	M.I.G. - I	144
52	NRP- T7/F 50	2	M.I.G. - I	144
53	NRP- T7/F 51	2	M.I.G. - I	144
54	NRP- T7/F 52	2	M.I.G. - I	144
55	NRP- T7/F 53	2	M.I.G. - I	144
56	NRP- T7/F 54	2	M.I.G. - I	144
57	NRP- T7/F 55	2	M.I.G. - I	144
58	NRP- T7/F 56	2	M.I.G. - I	144
59	NRP- T7/F 57	2	M.I.G. - I	144
60	NRP- T7/F 58	2	M.I.G. - I	144
61	NRP- T7/F 59	2	M.I.G. - I	144
62	NRP- T7/F 60	2	M.I.G. - I	144
63	NRP- T7/F 61	2	M.I.G. - I	144
64	NRP- T7/F 62	2	M.I.G. - I	144
65	NRP- T7/F 63	2	M.I.G. - I	144
66	NRP- T7/F 64	2	M.I.G. - I	144
67	NRP- T7/F 65	2	M.I.G. - I	144
68	NRP- T7/F 66	2	M.I.G. - I	144
69	NRP- T7/F 67	2	M.I.G. - I	144
70	NRP- T7/F 68	2	M.I.G. - I	144
71	NRP- T7/F 69	2	M.I.G. - I	144
72	NRP- T7/F 70	2	M.I.G. - I	144

73	NRP- T7/F 71	2	M.I.G. - I	144
74	NRP- T7/F 72	2	M.I.G. - I	144
75	NRP- T7/F 73	2	M.I.G. - I	144
76	NRP- T7/F 74	2	M.I.G. - I	144
77	NRP- T7/F 75	2	M.I.G. - I	144
78	NRP- T7/F 76	2	M.I.G. - I	144
79	NRP- T7/F 77	2	M.I.G. - I	144
80	NRP- T7/F 78	2	M.I.G. - I	144
81	NRP- T7/F 79	2	M.I.G. - I	144
82	NRP- T7/F 80	2	M.I.G. - I	144
83	NRP- T7/F 81	2	M.I.G. - I	144
84	NRP- T7/F 82	2	M.I.G. - I	144
85	NRP- T7/F 83	2	M.I.G. - I	144
86	NRP- T7/F 84	2	M.I.G. - I	144
87	NRP- T7/F 85	2	M.I.G. - I	144
88	NRP- T7/F 86	2	M.I.G. - I	144
89	NRP- T7/F 87	2	M.I.G. - I	144
90	NRP- T7/F 88	2	M.I.G. - I	144
91	NRP- T7/F 89	2	M.I.G. - I	144
92	NRP- T7/F 90	2	M.I.G. - I	144
93	NRP- T7/F 91	2	M.I.G. - I	144
94	NRP- T7/F 92	2	M.I.G. - I	144
95	NRP- T7/F 93	2	M.I.G. - I	144
96	NRP- T7/F 94	2	M.I.G. - I	144
97	NRP- T7/F 95	2	M.I.G. - I	144
98	NRP- T7/F 96	2	M.I.G. - I	144
99	NRP- T7/F 97	2	M.I.G. - I	144
100	NRP- T7/F 98	2	M.I.G. - I	144
101	NRP- T7/F 99	2	M.I.G. - I	144
102	NRP- T7/F 100	2	M.I.G. - I	144
103	NRP- T7/F 101	2	M.I.G. - I	144
104	NRP- T7/F 102	2	M.I.G. - I	144
105	NRP- T7/F 103	2	M.I.G. - I	144
106	NRP- T7/F 104	2	M.I.G. - I	144
107	NRP- T7/F 105	2	M.I.G. - I	144
108	NRP- T7/F 106	2	M.I.G. - I	144

109	NRP- T7/F 107	2	M.I.G. - I	144
110	NRP- T7/F 108	2	M.I.G. - I	144
111	NRP- T7/F 109	2	M.I.G. - I	144
112	NRP- T7/F 110	2	M.I.G. - I	144
113	NRP- T7/F 111	2	M.I.G. - I	144
114	NRP- T7/F 112	2	M.I.G. - I	144
115	NRP- T7/F 113	2	M.I.G. - I	144
116	NRP- T7/F 114	2	M.I.G. - I	144
117	NRP- T7/F 115	2	M.I.G. - I	144
118	NRP- T7/F 116	2	M.I.G. - I	144
119	NRP- T7/F 117	2	M.I.G. - I	144
120	NRP- T7/F 118	2	M.I.G. - I	144
121	NRP- T7/F 119	2	M.I.G. - I	144
122	NRP- T7/F 120	2	M.I.G. - I	144
123	NRP- T7/F 121	2	M.I.G. - I	144
124	NRP- T7/F 122	2	M.I.G. - I	144
125	NRP- T7/F 123	2	M.I.G. - I	144
126	NRP- T7/F 124	2	M.I.G. - I	144
127	NRP- T7/F 125	2	M.I.G. - I	144
128	NRP- T7/F 126	2	M.I.G. - I	144
129	NRP- T7/F 127	2	M.I.G. - I	144
130	NRP- T7/F 128	2	M.I.G. - I	144
131	NRP- T7/F 129	2	M.I.G. - I	144
132	NRP- T7/F 130	2	M.I.G. - I	144
133	NRP- T7/F 148	3	M.I.G. - I	149
134	NRP- T7/F 149	3	M.I.G. - I	147
135	NRP- T7/F 150	3	M.I.G. - I	145
136	NRP- T7/F 151	3	M.I.G. - I	147
137	NRP- T7/F 152	3	M.I.G. - I	149
138	NRP- T7/F 166	3	M.I.G. - I	148
139	NRP- T7/F 167	3	M.I.G. - I	144
140	NRP- T7/F 168	3	M.I.G. - I	142
141	NRP- T7/F 169	3	M.I.G. - I	138
142	NRP- T7/H 10	2	M.I.G. - I	108
143	NRP- T7/H 11	2	M.I.G. - I	108
144	NRP- T7/J 62	2	M.I.G. - I	106

क्रम. सं.	भूखण्ड संख्या	सेक्टर	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)
1	NRP- T7/E 1	3	M.I.G. - II	200
2	NRP- T7/E 2	3	M.I.G. - II	200
3	NRP- T7/E 3	3	M.I.G. - II	200
4	NRP- T7/E 4	3	M.I.G. - II	200
5	NRP- T7/E 5	3	M.I.G. - II	200
6	NRP- T7/E 6	3	M.I.G. - II	200
7	NRP- T7/E 7	3	M.I.G. - II	200
8	NRP- T7/E 8	3	M.I.G. - II	200
9	NRP- T7/E 9	3	M.I.G. - II	200
10	NRP- T7/E 10	3	M.I.G. - II	200
11	NRP- T7/E 11	3	M.I.G. - II	200
12	NRP- T7/E 12	3	M.I.G. - II	200
13	NRP- T7/E 13	3	M.I.G. - II	200
14	NRP- T7/E 14	3	M.I.G. - II	200
15	NRP- T7/E 15	3	M.I.G. - II	200
16	NRP- T7/E 16	3	M.I.G. - II	200
17	NRP- T7/E 17	3	M.I.G. - II	200
18	NRP- T7/E 18	3	M.I.G. - II	200
19	NRP- T7/E 19	3	M.I.G. - II	200
20	NRP- T7/E 20	3	M.I.G. - II	200
21	NRP- T7/E 21	3	M.I.G. - II	200
22	NRP- T7/E 22	3	M.I.G. - II	200
23	NRP- T7/E 23	3	M.I.G. - II	200
24	NRP- T7/E 24	3	M.I.G. - II	200
25	NRP- T7/E 25	3	M.I.G. - II	200
26	NRP- T7/E 26	3	M.I.G. - II	200
27	NRP- T7/E 27	3	M.I.G. - II	200
28	NRP- T7/E 28	3	M.I.G. - II	200
29	NRP- T7/E 29	3	M.I.G. - II	200
30	NRP- T7/E 30	3	M.I.G. - II	200
31	NRP- T7/E 31	3	M.I.G. - II	200
32	NRP- T7/E 32	3	M.I.G. - II	200
33	NRP- T7/E 33	3	M.I.G. - II	200
34	NRP- T7/E 34	3	M.I.G. - II	200
35	NRP- T7/E 35	3	M.I.G. - II	200
36	NRP- T7/E 36	3	M.I.G. - II	200
37	NRP- T7/E 37	3	M.I.G. - II	200
38	NRP- T7/E 38	3	M.I.G. - II	200
39	NRP- T7/E 39	3	M.I.G. - II	200
40	NRP- T7/E 40	3	M.I.G. - II	200
41	NRP- T7/E 41	3	M.I.G. - II	200
42	NRP- T7/E 42	3	M.I.G. - II	200
43	NRP- T7/E 43	3	M.I.G. - II	200
44	NRP- T7/E 44	3	M.I.G. - II	200
45	NRP- T7/E 45	3	M.I.G. - II	200
46	NRP- T7/E 46	3	M.I.G. - II	200
47	NRP- T7/E 47	3	M.I.G. - II	200
48	NRP- T7/E 48	3	M.I.G. - II	200
49	NRP- T7/E 49	3	M.I.G. - II	200
50	NRP- T7/E 50	3	M.I.G. - II	200
51	NRP- T7/E 51	3	M.I.G. - II	200
52	NRP- T7/E 52	3	M.I.G. - II	200
53	NRP- T7/E 53	3	M.I.G. - II	200
54	NRP- T7/E 54	3	M.I.G. - II	200
55	NRP- T7/E 55	3	M.I.G. - II	200
56	NRP- T7/E 56	3	M.I.G. - II	200
57	NRP- T7/E 57	3	M.I.G. - II	200
58	NRP- T7/E 58	3	M.I.G. - II	200
59	NRP- T7/E 59	3	M.I.G. - II	200
60	NRP- T7/E 60	3	M.I.G. - II	200
61	NRP- T7/E 61	3	M.I.G. - II	200
62	NRP- T7/E 62	3	M.I.G. - II	200
63	NRP- T7/E 63	3	M.I.G. - II	200
64	NRP- T7/E 64	3	M.I.G. - II	200
65	NRP- T7/E 65	3	M.I.G. - II	200
66	NRP- T7/E 66	3	M.I.G. - II	200
67	NRP- T7/E 67	3	M.I.G. - II	200
68	NRP- T7/E 68	3	M.I.G. - II	200
69	NRP- T7/E 69	3	M.I.G. - II	200
70	NRP- T7/E 70	3	M.I.G. - II	200
71	NRP- T7/E 71	3	M.I.G. - II	200
72	NRP- T7/E 72	3	M.I.G. - II	200
73	NRP- T7/E 73	3	M.I.G. - II	200
74	NRP- T7/E 74	3	M.I.G. - II	200

75	NRP- T7/E 75	3	M.I.G. - II	200
76	NRP- T7/E 76	3	M.I.G. - II	200
77	NRP- T7/E 77	3	M.I.G. - II	200
78	NRP- T7/E 78	3	M.I.G. - II	200
79	NRP- T7/E 79	3	M.I.G. - II	200
80	NRP- T7/E 80	3	M.I.G. - II	200
81	NRP- T7/E 81	3	M.I.G. - II	200
82	NRP- T7/E 82	3	M.I.G. - II	200
83	NRP- T7/E 83	3	M.I.G. - II	200
84	NRP- T7/E 84	3	M.I.G. - II	200
85	NRP- T7/E 85	3	M.I.G. - II	200
86	NRP- T7/E 86	3	M.I.G. - II	200
87	NRP- T7/E 87	3	M.I.G. - II	200
88	NRP- T7/E 88	3	M.I.G. - II	200
89	NRP- T7/E 89	3	M.I.G. - II	200
90	NRP- T7/E 90	3	M.I.G. - II	200
91	NRP- T7/E 91	3	M.I.G. - II	200
92	NRP- T7/E 92	3	M.I.G. - II	200
93	NRP- T7/E 93	3	M.I.G. - II	200
94	NRP- T7/E 94	3	M.I.G. - II	200
95	NRP- T7/E 95	3	M.I.G. - II	200
96	NRP- T7/E 96	3	M.I.G. - II	200
97	NRP- T7/E 97	3	M.I.G. - II	200
98	NRP- T7/E 98	3	M.I.G. - II	200
99	NRP- T7/E 99	3	M.I.G. - II	200
100	NRP- T7/E 100	3	M.I.G. - II	200
101	NRP- T7/E 101	3	M.I.G. - II	200
102	NRP- T7/E 102	3	M.I.G. - II	200
103	NRP- T7/E 103	3	M.I.G. - II	200
104	NRP- T7/E 104	3	M.I.G. - II	200
105	NRP- T7/E 105	3	M.I.G. - II	200
106	NRP- T7/E 106	3	M.I.G. - II	200
107	NRP- T7/E 107	3	M.I.G. - II	200
108	NRP- T7/E 108	3	M.I.G. - II	200
109	NRP- T7/E 109	3	M.I.G. - II	200
110	NRP- T7/E 110	3	M.I.G. - II	200
111	NRP- T7/E 111	3	M.I.G. - II	200
112	NRP- T7/E 112	3	M.I.G. - II	200
113	NRP- T7/E 113	3	M.I.G. - II	200
114	NRP- T7/E 114	3	M.I.G. - II	200

115	NRP- T7/E 115	3	M.I.G. - II	200
116	NRP- T7/E 116	3	M.I.G. - II	200
117	NRP- T7/E 117	3	M.I.G. - II	200
118	NRP- T7/E 118	3	M.I.G. - II	200
119	NRP- T7/E 119	3	M.I.G. - II	200
120	NRP- T7/E 120	3	M.I.G. - II	200
121	NRP- T7/E 121	3	M.I.G. - II	200
122	NRP- T7/E 122	3	M.I.G. - II	200
123	NRP- T7/E 123	3	M.I.G. - II	200
124	NRP- T7/E 124	3	M.I.G. - II	200
125	NRP- T7/E 125	3	M.I.G. - II	200
126	NRP- T7/E 126	3	M.I.G. - II	200
127	NRP- T7/E 127	3	M.I.G. - II	200
128	NRP- T7/E 128	3	M.I.G. - II	200
129	NRP- T7/E 129	3	M.I.G. - II	200
130	NRP- T7/E 130	3	M.I.G. - II	200
131	NRP- T7/E 131	3	M.I.G. - II	200
132	NRP- T7/E 132	3	M.I.G. - II	200
133	NRP- T7/E 133	3	M.I.G. - II	200
134	NRP- T7/E 134	3	M.I.G. - II	200
135	NRP- T7/E 135	3	M.I.G. - II	200
136	NRP- T7/E 136	3	M.I.G. - II	200
137	NRP- T7/E 137	3	M.I.G. - II	200
138	NRP- T7/E 138	3	M.I.G. - II	200
139	NRP- T7/E 139	3	M.I.G. - II	200
140	NRP- T7/E 140	3	M.I.G. - II	200
141	NRP- T7/E 141	3	M.I.G. - II	200
142	NRP- T7/E 142	3	M.I.G. - II	200
143	NRP- T7/E 143	3	M.I.G. - II	200
144	NRP- T7/E 144	3	M.I.G. - II	200
145	NRP- T7/E 145	3	M.I.G. - II	200
146	NRP- T7/E 146	3	M.I.G. - II	200
147	NRP- T7/E 147	3	M.I.G. - II	200
148	NRP- T7/E 148	3	M.I.G. - II	200
149	NRP- T7/E 149	3	M.I.G. - II	200
150	NRP- T7/E 150	3	M.I.G. - II	200
151	NRP- T7/E 151	3	M.I.G. - II	200
152	NRP- T7/E 152	3	M.I.G. - II	200
153	NRP- T7/E 153	3	M.I.G. - II	200
154	NRP- T7/E 154	3	M.I.G. - II	200

155	NRP- T7/E 155	3	M.I.G. - II	200
156	NRP- T7/E 156	3	M.I.G. - II	200
157	NRP- T7/E 157	3	M.I.G. - II	200
158	NRP- T7/E 158	3	M.I.G. - II	200
159	NRP- T7/E 159	3	M.I.G. - II	200
160	NRP- T7/E 160	3	M.I.G. - II	200
161	NRP- T7/E 161	3	M.I.G. - II	200
162	NRP- T7/E 162	3	M.I.G. - II	200
163	NRP- T7/E 163	3	M.I.G. - II	200
164	NRP- T7/E 164	3	M.I.G. - II	200
165	NRP- T7/E 165	3	M.I.G. - II	200
166	NRP- T7/E 166	3	M.I.G. - II	200
167	NRP- T7/E 167	3	M.I.G. - II	200
168	NRP- T7/E 168	3	M.I.G. - II	200
169	NRP- T7/E 169	3	M.I.G. - II	200
170	NRP- T7/E 170	3	M.I.G. - II	200
171	NRP- T7/E 171	3	M.I.G. - II	200
172	NRP- T7/E 172	3	M.I.G. - II	200
173	NRP- T7/E 173	3	M.I.G. - II	200
174	NRP- T7/E 174	3	M.I.G. - II	200
175	NRP- T7/E 175	3	M.I.G. - II	200
176	NRP- T7/E 176	3	M.I.G. - II	200
177	NRP- T7/E 177	3	M.I.G. - II	200
178	NRP- T7/E 178	3	M.I.G. - II	200
179	NRP- T7/E 179	3	M.I.G. - II	200
180	NRP- T7/E 180	3	M.I.G. - II	200
181	NRP- T7/E 181	3	M.I.G. - II	200
182	NRP- T7/E 182	3	M.I.G. - II	200
183	NRP- T7/E 183	3	M.I.G. - II	200
184	NRP- T7/E 184	3	M.I.G. - II	200
185	NRP- T7/E 185	3	M.I.G. - II	200
186	NRP- T7/E 186	3	M.I.G. - II	200
187	NRP- T7/E 187	3	M.I.G. - II	200
188	NRP- T7/E 188	3	M.I.G. - II	200
189	NRP- T7/E 189	3	M.I.G. - II	200
190	NRP- T7/E 190	3	M.I.G. - II	200
191	NRP- T7/E 191	3	M.I.G. - II	200
192	NRP- T7/E 192	3	M.I.G. - II	200
193	NRP- T7/E 193	3	M.I.G. - II	200
194	NRP- T7/E 194	3	M.I.G. - II	200
195	NRP- T7/E 195	3	M.I.G. - II	200
196	NRP- T7/E 196	3	M.I.G. - II	200
197	NRP- T7/E 197	3	M.I.G. - II	200
198	NRP- T7/E 198	3	M.I.G. - II	200
199	NRP- T7/E 199	3	M.I.G. - II	200
200	NRP- T7/E 200	3	M.I.G. - II	200
201	NRP- T7/E 201	3	M.I.G. - II	200
202	NRP- T7/E 202	3	M.I.G. - II	200
203	NRP- T7/E 203	3	M.I.G. - II	200
204	NRP- T7/E 204	3	M.I.G. - II	200
205	NRP- T7/E 205	2	M.I.G. - II	200
206	NRP- T7/E 206	2	M.I.G. - II	200
207	NRP- T7/E 207	2	M.I.G. - II	200
208	NRP- T7/E 208	2	M.I.G. - II	200
209	NRP- T7/E 209	2	M.I.G. - II	200
210	NRP- T7/E 210	2	M.I.G. - II	200
211	NRP- T7/E 211	2	M.I.G. - II	200
212	NRP- T7/E 212	2	M.I.G. - II	200
213	NRP- T7/E 213	2	M.I.G. - II	200
214	NRP- T7/E 214	2	M.I.G. - II	200
215	NRP- T7/E 215	2	M.I.G. - II	200
216	NRP- T7/E 216	2	M.I.G. - II	200
217	NRP- T7/E 217	2	M.I.G. - II	200
218	NRP- T7/E 218	2	M.I.G. - II	200
219	NRP- T7/E 219	2	M.I.G. - II	200
220	NRP- T7/E 220	2	M.I.G. - II	200
221	NRP- T7/E 221	2	M.I.G. - II	200
222	NRP- T7/E 222	2	M.I.G. - II	200
223	NRP- T7/E 223	2	M.I.G. - II	200
224	NRP- T7/E 224	2	M.I.G. - II	200
225	NRP- T7/E 225	2	M.I.G. - II	200
226	NRP- T7/E 226	2	M.I.G. - II	200
227	NRP- T7/E 227	2	M.I.G. - II	200
228	NRP- T7/E 228	2	M.I.G. - II	200
229	NRP- T7/E 229	2	M.I.G. - II	200
230	NRP- T7/E 230	2	M.I.G. - II	200
231	NRP- T7/E 231	2	M.I.G. - II	200
232	NRP- T7/E 232	2	M.I.G. - II	200
233	NRP- T7/E 234	2	M.I.G. - II	200
234	NRP- T7/E 235	2	M.I.G. - II	200

235	NRP- T7/E 236	2	M.I.G. - II	200
236	NRP- T7/E 237	2	M.I.G. - II	200
237	NRP- T7/E 238	2	M.I.G. - II	200
238	NRP- T7/E 239	2	M.I.G. - II	200
239	NRP- T7/E 240	2	M.I.G. - II	200
240	NRP- T7/E 241	2	M.I.G. - II	200
241	NRP- T7/E 242	2	M.I.G. - II	200
242	NRP- T7/E 243	2	M.I.G. - II	200
243	NRP- T7/E 244	2	M.I.G. - II	200
244	NRP- T7/E 245	2	M.I.G. - II	200
245	NRP- T7/E 246	2	M.I.G. - II	200
246	NRP- T7/E 247	2	M.I.G. - II	200
247	NRP- T7/E 249	2	M.I.G. - II	200
248	NRP- T7/E 250	2	M.I.G. - II	200
249	NRP- T7/E 251	2	M.I.G. - II	200
250	NRP- T7/E 252	2	M.I.G. - II	200
251	NRP- T7/E 253	2	M.I.G. - II	200
252	NRP- T7/E 254	2	M.I.G. - II	200
253	NRP- T7/E 255	2	M.I.G. - II	200
254	NRP- T7/E 256	2	M.I.G. - II	200
255	NRP- T7/E 257	2	M.I.G. - II	200
256	NRP- T7/E 258	2	M.I.G. - II	200
257	NRP- T7/E 259	2	M.I.G. - II	200
258	NRP- T7/E 260	2	M.I.G. - II	200
259	NRP- T7/E 261	2	M.I.G. - II	200
260	NRP- T7/E 262	2	M.I.G. - II	200
261	NRP- T7/E 264	2	M.I.G. - II	189
262	NRP- T7/E 265	2	M.I.G. - II	182
263	NRP- T7/E 266	2	M.I.G. - II	190
264	NRP- T7/E 274	2	M.I.G. - II	186
265	NRP- T7/E 275	2	M.I.G. - II	186
266	NRP- T7/E 276	2	M.I.G. - II	186
267	NRP- T7/E 277	2	M.I.G. - II	186
268	NRP- T7/F 132	2	M.I.G. - II	170
269	NRP- T7/F 133	2	M.I.G. - II	170
270	NRP- T7/F 134	2	M.I.G. - II	169
271	NRP- T7/F 135	2	M.I.G. - II	168
272	NRP- T7/F 136	2	M.I.G. - II	167
273	NRP- T7/F 137	2	M.I.G. - II	167
274	NRP- T7/F 138	2	M.I.G. - II	166
275	NRP- T7/F 139	2	M.I.G. - II	164
276	NRP- T7/F 140	2	M.I.G. - II	163
277	NRP- T7/F 141	2	M.I.G. - II	162
278	NRP- T7/F 142	2	M.I.G. - II	161
279	NRP- T7/F 143	2	M.I.G. - II	159
280	NRP- T7/F 144	2	M.I.G. - II	157
281	NRP- T7/F 145	2	M.I.G. - II	155
282	NRP- T7/F 146	2	M.I.G. - II	153
283	NRP- T7/F 147	2	M.I.G. - II	151
284	NRP- T7/F 153	3	M.I.G. - II	151
285	NRP- T7/F 154	3	M.I.G. - II	154
286	NRP- T7/F 155	3	M.I.G. - II	156
287	NRP- T7/F 156	3	M.I.G. - II	158
288	NRP- T7/F 157	3	M.I.G. - II	160
289	NRP- T7/F 158	3	M.I.G. - II	163
290	NRP- T7/F 159	3	M.I.G. - II	165
291	NRP- T7/F 160	3	M.I.G. - II	167
292	NRP- T7/F 161	3	M.I.G. - II	170
293	NRP- T7/F 162	3	M.I.G. - II	159
294	NRP- T7/F 163	3	M.I.G. - II	157
295	NRP- T7/F 164	3	M.I.G. - II	154
296	NRP- T7/F 165	3	M.I.G. - II	151

क्रम. सं.	भूखण्ड संख्या	सेक्टर	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)
1	NRP- T7/C 50	2	H.I.G. - I	244
2	NRP- T7/E 218 A	2	H.I.G. - I	212
3	NRP- T7/E 233	2	H.I.G. - II	223
4	NRP- T7/E 248	2	H.I.G. - II	224
5	NRP- T7/E 263	2	H.I.G. - II	225
6	NRP- T7/E 267	2	H.I.G. - I	202
7	NRP- T7/E 268	2	H.I.G. - I	209
8	NRP- T7/E 269	2	H.I.G. - I	229
9	NRP- T7/E 270	3	H.I.G. - I	203

क्रम. सं.	भूखण्ड संख्या	सेक्टर	श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)
1	NRP- T7/C 01	3	H.I.G. - II	300
2	NRP- T7/C 02	3	H.I.G. - II	300
3	NRP- T7/C 03	3	H.I.G. - II	300
4	NRP- T7/C 04	3	H.I.G. - II	300
5	NRP- T7/C 05	3	H.I.G. - II	300
6	NRP- T7/C 06	3	H.I.G. - II	300
7	NRP- T7/C 07	3	H.I.G. - II	300
8	NRP- T7/C 08	3	H.I.G. - II	300
9	NRP- T7/C 09	3	H.I.G. - II	300
10	NRP- T7/C 10	3	H.I.G. - II	300
11	NRP- T7/C 11	3	H.I.G. - II	300
12	NRP- T7/C 12	3	H.I.G. - II	300
13	NRP- T7/C 13	3	H.I.G. - II	300
14	NRP- T7/C 14	3	H.I.G. - II	300
15	NRP- T7/C 15	3	H.I.G. - II	300
16	NRP- T7/C 16	3	H.I.G. - II	300
17	NRP- T7/C 17	3	H.I.G. - II	300
18	NRP- T7/C 18	3	H.I.G. - II	300
19	NRP- T7/C 19	3	H.I.G. - II	300
20	NRP- T7/C 20	3	H.I.G. - II	300
21	NRP- T7/C 21	3	H.I.G. - II	300
22	NRP- T7/C 22	3	H.I.G. - II	300
23	NRP- T7/C 23	3	H.I.G. - II	300
24	NRP- T7/C 24	3	H.I.G. - II	300
25	NRP- T7/C 25	3	H.I.G. - II	300
26	NRP- T7/C 26	3	H.I.G. - II	300
27	NRP- T7/C 27	3	H.I.G. - II	300
28	NRP- T7/C 28	3	H.I.G. - II	300
29	NRP- T7/C 29	3	H.I.G. - II	300
30	NRP- T7/C 30	3	H.I.G. - II	300
31	NRP- T7/C 31	3	H.I.G. - II	300
32	NRP- T7/C 32	3	H.I.G. - II	300
33	NRP- T7/C 33	3	H.I.G. - II	300
34	NRP- T7/C 34	3	H.I.G. - II	300
35	NRP- T7/C 35	3	H.I.G. - II	300
36	NRP- T7/C 36	3	H.I.G. - II	300
37	NRP- T7/C 37	3	H.I.G. - II	300
38	NRP- T7/C 38	3	H.I.G. - II	300
39	NRP- T7/C 39	3	H.I.G. - II	300
40	NRP- T7/C 40	3	H.I.G. - II	300
41	NRP- T7/C 41	3	H.I.G. - II	300
42	NRP- T7/C 42	3	H.I.G. - II	300
43	NRP- T7/C 43	3	H.I.G. - II	300
44	NRP- T7/C 44	3	H.I.G. - II	300
45	NRP- T7/C 45	3	H.I.G. - II	300
46	NRP- T7/C 46	3	H.I.G. - II	300
47	NRP- T7/C 47	3	H.I.G. - II	300
48	NRP- T7/C 48	3	H.I.G. - II	291
49	NRP- T7/C 49	3	H.I.G. - II	264

नर्मदापुरम टाउनशिप के भूखण्डों हेतु पंजीकरण धनराशि का विवरण

क्र.सं.	भूखण्ड श्रेणी	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	दर प्रति वर्ग मी.	पंजीकरण शुल्क	
					आरक्षित श्रेणी (5 प्रतिशत भूखण्ड की अनुमानित कीमत)	अनारक्षित श्रेणी (10 प्रतिशत भूखण्ड की अनुमानित कीमत)
1	एल.आई.जी.	100 तक	220	₹ 33,000	₹ 1,65,000	₹ 3,30,000
2	एम.आई.जी. - I	101–150	144	₹ 33,000	₹ 2,47,500	₹ 4,95,000
3	एम.आई.जी. - II	151–200	296	₹ 33,000	₹ 3,30,000	₹ 6,60,000
4	एच.आई.जी. - I	201–250	9	₹ 33,000	₹ 4,12,500	₹ 8,25,000
5	एच.आई.जी. - II	250 से अधिक	49	₹ 33,000	₹ 4,95,000	₹ 9,90,000

(प्रतीकात्मक)

सामान्य निर्देश एवं नियम शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. मात्र ऑनलाईन आवेदन ही पंजीकरण हेतु स्वीकार्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in के माध्यम से किया जा सकता है।
2. पंजीकरण हेतु आवेदक की आयु आवेदन की अन्तिम तिथि तक न्यूनतम 18 वर्ष होना तथा आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
3. ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदक को स्वयं का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित श्रेणियों हेतु) एवं अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु वांछित प्रमाण–पत्र आवेदन में ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भरा हो एवं वॉछित अभिलेखों को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित अभिलेख अपलोड न होने पर आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।
5. एक से अधिक या संयुक्त नाम से पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। एकल पंजीकरण अथवा पति–पत्नी का संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य होगा।
6. विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में नर्मदापुरम टाउनशिप का स्थल निरीक्षण किया जा सकता है।
7. लॉटरी ड्रॉ की तिथि दैनिक समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.org.in पर अलग से प्रदर्शित की जायेगी।
8. लॉटरी ड्रॉ की निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व विसंगतिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवेदनों की एक आपत्ति सूची प्राधिकरण की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित आवेदक लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 7 दिवस पूर्व तक जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर जाकर ऑनलाईन माध्यम से अनिवार्य रूप से अपने आवेदन की त्रुटियों का निवारण कर सकते हैं। नियत समयावधि में त्रुटि सुधार न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है और उसे लॉटरी ड्रॉ की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. जिन आवेदकों को लॉटरी ड्रॉ में भूखण्ड आवंटित नहीं होता है, तो उनके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि लॉटरी ड्रॉ की तिथि से अधिकतम 30 कार्य दिवस में आवेदन फार्म में अंकित बैंक खाते में ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी। आवेदन फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
10. आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद्, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित किसी आवासीय योजना में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
11. एल.आई.जी. श्रेणी के आवेदकों हेतु ₹3,00,001 से ₹6,00,000 (₹ तीन लाख एक से ₹छः लाख) तक की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी) आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. एक व्यक्ति, एक ही श्रेणी की सम्पत्ति पर आवेदन कर सकेगा।
13. यदि मा0 विधायक/मा0 सदस्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/मा0 सांसद/मा0 सदस्य राज्य सभा को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अथवा विकास प्राधिकरण या किसी अन्य अभिकरण की किसी भी योजना में भूखण्ड अथवा भवन प्राथमिकता के आधार पर पूर्व में आवंटित किया जा चुका है तथा मा0 विधायक/मा0 सदस्य

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद / मा0 सांसद / मा0 सदस्य राज्य सभा द्वारा उसकी बिक्री कर दी गई है एवं नये भूखण्ड / भवन के लिए आवंटन किया हो तो शासनादेश के अनुसार दोबारा उन्हें आवंटन में प्राथमिकता प्रदान नहीं की जायेगी, अपितु उन्हें नियमानुसार आवंटन प्रदान किया जायेगा।

14. यदि आवेदनकर्ता लॉटरी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या पंजीकरण की शर्तों / प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को होगा।

15. सम्पत्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है, जिसके सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

16. सम्पत्ति के भूखण्ड के क्षेत्रफल में नियोजन उपरान्त वृद्वि होने पर आवंटित क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत तक वृद्वि क्षेत्रफल पर आवंटन दर से एवं अवशेष 90 प्रतिशत भूखण्ड के भू–भाग पर तत्समय लागू दर पर मूल्य जमा करना होगा।

17. भूखण्ड जहॉ है जैसा है के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

18. भूखण्ड का भौतिक कब्जा विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त ही दिया जायेगा, जो विक्रय विलेख निष्पादित होने के तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा तत्पश्चात् ₹100 / – प्रतिदिन की दर से कब्जा प्राप्त करने की तिथि तक दण्ड लिया जायेगा।

19. भूखण्ड जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दर पर अनुरक्षण शुल्क प्रतिमाह आवंटी द्वारा प्राधिकरण को देय होगा, जो भूखण्ड के कब्जा प्राप्त करने की तिथि से ही लागू होगा। वर्तमान में अनुरक्षण शुल्क रू0 5 प्रति वर्गमीटर है। अनुरक्षण शुल्क आयकर विभाग के कास्ट इन्डेक्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित की जायेगी।

20. आवंटित भूखण्ड पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी माननीय न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भूखण्ड का कब्जा देने में विलम्ब / बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति / ब्याज देय नहीं होगा।

21. अर्जन सम्बन्धी विवाद में किसी मा0 न्यायालय द्वारा यदि मूल्य बढ़ाने का आदेश दिया जाता है तो अतिरिक्त मूल्य का भुगतान आवंटी द्वारा प्राधिकरण को किया जाना अनिवार्य होगा।

22. आवंटन स्वीकृत / अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होंगे।

23. किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र आगरा होगा।

24. समय–समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा।

25. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

26. भुगतान प्रकिया :–

(i) आवेदन शुल्क ₹1100 / – (जीएसटी सहित) किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

(ii) पंजीकरण धनराशि के रूप में बेसिक सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी) व 05 प्रतिशत धनराशि (अन्य आरक्षित श्रेणी) हेतु जनहित पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन जमा कराना अनिवार्य होगा।

(iii) भूखण्ड आवंटन के पश्चात् कुल धनराशि का 15 प्रतिशत (सामान्य श्रेणी) एवं 20 प्रतिशत (अन्य आरक्षित श्रेणी) हेतु आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त कर 30 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि को जब्त करते हुए अवशेष धनराशि ब्याज रहित आवंटी को वापस कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iv) आवेदक को सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि (अर्थात् 75 प्रतिशत धनराशि) का पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि पर आदर्श कास्टिंग गाईड–लाईन्स–2025 के अधीन निम्नवत् छूट प्रदान की जायेगी।

a. 45 दिवस में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कराने पर 6 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

b. 60 दिवस में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

c. 90 दिवस में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

नोटः– जिस दिवस में पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में प्राप्त होगी, उसके अनुसार ही छूट की गणना की जायेगी। यदि बैंक अथवा आवंटी की गलती के कारण ससमय धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं होती है तो उसके लिये कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(v) एल.आई.जी., एम.आई.जी.–1, एम.आई.जी.–2, एच.आई.जी.–1 एवं एच.आई.जी.–2 सम्पत्ति की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जायेगा एवं किश्तों का समय से भुगतान न करने पर अतिरिक्त 02 प्रतिशत अर्थात् विलम्बित अवधि का 14 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

(vi) शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार भूखण्ड कार्नर एवं पार्क फेसिंग होने की दशा में निम्नवत् अतिरिक्त धनराशि देय होगी।

a. यदि भूखण्ड कार्नर का है तो कार्नर शुल्क 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

b. यदि भूखण्ड पार्क फेसिंग का है तो पार्क फेसिंग 5 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

c. यदि भूखण्ड कार्नर, पार्क फेसिंग एवं 18 मीटर अथवा उससे चौड़े मार्ग या सड़क पर स्थित होने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।

d. यदि भूखण्ड में उपरोक्त तीनों गुण (a, b, c) होते है तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक होगा

(vii) भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क देय होगा तथा अन्य आवश्यक शुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा। 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क की मांग अन्तिम किश्त के साथ ही आरोपित होगी, जिसे 15 दिवस में आवंटी को जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त पर 14 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा तथा आवंटी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

27. विक्रय विलेख की प्रक्रिया में होने वाला समस्त व्यय स्टाम्प शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

28. आवेदक द्वारा ₹50 लाख अथवा अधिक मूल्य के भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि का 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 धनराशि प्राधिकरण के पैन संख्या– AAALA0081F पर जमा कराना अनिवार्य होगा, जो भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के अन्तर्गत ही होगा। उक्त के पश्चात् ही भूखण्ड का विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।

29. निरस्तीकरण/समर्पण

(i) आवेदनकर्ता द्वारा लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 07 दिवस पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु लिखित रूप में आवेदन करना होगा। लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी ड्रॉ के पश्चात् 15 कार्य दिवस में धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा उसे लॉटरी ड्रॉ में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(ii) आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने की तिथि तक यदि समर्पण किया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा यदि आवंटन धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् भूखण्ड का समर्पण किया जाता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी।

(iii) आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने पर डिफॉल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त जमा धनराशि में से 30 प्रतिशत कटौती करते हुए वापस की जा सकती है।

(iv) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि विक्रय विलेख के पश्चात् भी उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

30. आरक्षण प्रक्रिया

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	02%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
4	मा0 विधायक/मा0 विधान परिषद् सदस्य/मा0 सांसद व स्वतन्त्रता सेनानी	05%
5	सरकारी सेवाओं एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	05%
6	उ0प्र0 आवास विकास, विकास प्राधिकरण, जलकल, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02%
7	भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व केन्द्रीय पुलिस बल के कार्मिकों एवं उनके आश्रित	03%
8	दिव्यांगजन	05% (क्षैतिज आरक्षण)
9	वरिष्ठ नागरिक	10% (क्षैतिज आरक्षण)
10	सामान्य वर्ग	अवशेष

नोटः–

- आरक्षण श्रेणी (क्रमांक–01 से 03) मात्र उ0प्र0 के नागरिकों हेतु ही मान्य होगा।
- उपरोक्त क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में ऑनलाइन आवेदन करेंगे लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा तथा सक्षम अधिकारी / तहसीलदार / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- मा0 विधायक / मा0 सदस्य विधान परिषद् / मा0 सांसद / मा0 सदस्य राज्य सभा द्वारा अपने आवेदन के साथ मा0 सदन का सदस्यता प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी आवेदक को सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- क्रमांक 05 श्रेणी के आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र एवं सेवा का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- क्रमांक 06 श्रेणी के आवेदकों को उनके विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत सेवा में कार्यरत सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- क्रमांक 07 श्रेणी के आवेदकों को सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- क्रमांक 08 श्रेणी के आवेदकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- क्रमांक 09 श्रेणी के आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित आयु सम्बन्धी साक्ष्य प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

31. प्रस्तावित सम्पत्तियों की दर अनुमानित है, जो विकास कार्य होने के पश्चात् घट बढ़ सकती है तथा उक्त दर आवंटी को मान्य होगी। आवंटी द्वारा पुनर्निधारित दरें स्वीकार न करने की स्थिति में आवंटी का आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा धनराशि से 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा इसके पश्चात आवंटी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
32. यदि किसी आवंटी द्वारा भूखण्ड के रजिस्ट्री के पूर्व तक किसी अन्य को रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटार्नी दी जाती है, तो भी प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का विक्रय विलेख मूल आवंटी के नाम से ही किया जायेगा। यदि मूल आवंटी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके वारिसों के नाम से नामांतरण उपरान्त ही नियमानुसार विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा।
33. **भूखण्ड का कब्जाः**– भूखण्डों का कब्जा रजिस्ट्री उपरान्त माह नवम्बर 2030 अथवा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त्, जो पहले हो, दिया जायेगा।
34. योजना आवासीय है। सम्पत्ति का प्रयोग उ0प्र0 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगूलेशन्स–2025 के अधीन ही अनुमन्यता के आधार पर ही किया जायेगा।

किसी भी विवाद अथवा आपत्ति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

शपथ पत्र (₹ 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री / श्रीमती / कुमारी...पिता / पति का नाम श्री...

आयु..................... व्यवसाय.................................. पूरा पता...

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ / करती हूँः—

1. मैंने आगरा विकास प्राधिकरण की नर्मदापुरम टाउनशिप के अन्तर्गत एल.आई.जी. / एम.आई.जी.—1 / एम.आई.जी.—2 / एच.आई.जी.—1 / एच.आई.जी.—2 भूखण्ड हेतु आवेदन किया है।
2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं भूखण्ड हेतु पंजीकरण मात्र अपने लिये ही कर रहा / रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मेरे या मेरे पति / मेरी पत्नी तथा अवयस्क बच्चों के पास विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलोनी में कोई भूखण्ड / भवन नहीं है।
5. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित (क्रमांक—01 से 34) नियमों, शर्तों, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता / देती हूँ तथा मुझे मान्य है।
6. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि जब तक भूखण्ड की समस्त किश्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा / लाऊँगी।
7. यदि आगरा विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगी गयी धनराशि जमा नहीं करूँ अथवा भूखण्ड की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो आगरा विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
8. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ—पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन / रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणाः— मैं एतद्द्वारा बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 08 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

आवेदन प्रक्रिया

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के जनहित पोर्टल **https://janhit.upda.in** अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट **www.adaagra.org.in** के माध्यम से किया जा सकता है।

जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :

https://janhit.upda.in के द्वारा

चरण 1
वेबसाइट https://janhit.upda.in पर जाये "नर्मदापुरम टाउनशिप के आवेदन हेतु" पर Click करें

चरण 2
आवेदन हेतु पंजीकरण ([illegible]) पर क्लिक करें

चरण 3
आगे बढ़ें पर क्लिक करें और आगरा विकास प्राधिकरण का चयन करें

चरण 4
आवेदक New account पर Click करके अपना प्रोफाइल Create करें

चरण 5
प्रोफाइल पंजीकरण के पश्चात अपने यूजरनेम, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड की सहायता से लॉगिन करें

चरण 6
Add New Registration पर Click करें

चरण 7
योजना का नाम "नर्मदापुरम टाउनशिप Auto selected आयेगा

चरण 8
प्लॉट के लिए उपयुक्त श्रेणी का चयन करें

चरण 9
सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (आवेदक फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र* एवं आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र*)

चरण 10
आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि का भुगतान करें।

www.adaagra.org.in के द्वारा

चरण 1
प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.adaagra.org.in पर जाये "नर्मदापुरम टाउनशिप के आवेदन हेतु" पर Click करें

चरण 2
आवेदक New account पर Click करके अपना प्रोफाइल Create करें

चरण 3
प्रोफाइल पंजीकरण के पश्चात अपने यूजरनेम, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड की सहायता से लॉगिन करें

चरण 4
Add New Registration पर Click करें

चरण 5
योजना का नाम "नर्मदापुरम टाउनशिप Auto selected आयेगा

चरण 6
प्लॉट के लिए उपयुक्त श्रेणी का चयन करें

चरण 7
सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (आवेदक फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र)

चरण 8
आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि का भुगतान करें।

नोट : अन्य जानकारी या किसी भी सहायता हेतु कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय स्थित जन सहायता काउंटर पर या दूरभाष नंबर 0562–2510070 / व्हाट्सएप नंबर +91 9084407890 पर संपर्क करें।

* सामान्य श्रेणी के आवेदन पर लागू नहीं

नर्मदापुरम टाउनशिप

हमारा प्रयास, सबको आवास

अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें

हेल्पलाइन नंबर : 0562-2510070

व्हाट्सएप नंबर : +91 9084407890

कार्य दिवस में प्रात: 10:00 बजे
से सायं 5:00 बजे तक

सोशल मीडिया / वेबसाइट

@adaagraofficial

www.adaagra.org.in

नर्मदापुरम टाउनशिप की
लोकेशन के लिए
QR कोड स्कैन करें।

आगरा विकास प्राधिकरण

रत्न मुनि रोड, जयपुर हाउस कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश

support@adaagra.org.in

आवेदन एवं
अधिक जानकारी के लिए
QR कोड स्कैन करें।

आवेदन शुल्क
₹ 1100 (जीएसटी सहित)